Dated 17–07–2024

पूर्व में बोली कमेटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो अनुसार बोली का आयोजन दिनांक 15–07–2024 को किया जाना था किन्तु बोलीदाताओं को ई–आर्क्शन का तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण कम आवेदन प्राप्त होने पर जनहीत में बोली की तिथि दिनांक 17–07–2024 की निर्धारित की गई थी किन्तु दिनांक 16–07–2024 को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के महेन्द्रगढ़ जिले के दौरे पर होने के कारण बोली कमेटी के सदस्यों की प्रशासनिक व्यस्तता के चलते रि–आर्क्शन दिनांक 24–07–2024 को किया जाना निश्चित किया गया है जिसके चलते तिथि, समय इत्यादि सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव उपरान्त पार्किंग/बाडे के ठेके की शर्ते निम्न प्रकार से है:–

1 न्यूनतम बोली निम्न तालिका में दर्शाए गऐ विवरण अनुसार शुरू होगी।

कम स	पार्किंग/बाडा स्थान	रिर्जव प्राईस
1	महेन्द्रगढ़	1,00,000/–
2	कनीना	1,90,000/–
3	नांगल चौधरी	14,50,000/–
4	सिहमा	2,86,000/–
5	निजामपुर	3,29,000/–
6	सतनाली	1,00,000/–
7	नारनौल	10,51,000/–
8	अटेली	2,11,000/–

2 बाडे का ठेका एक वर्ष के लिए होगा जो कि जिस दिनांक से वर्क आर्डर जारी होगा, उस दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा।।

3 सर्वाधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार को 1 वर्ष की राशि बोली के 72 घंटो के अन्दर–अन्दर नगद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, भारतीय रैड कास सोसायटी, नारनौल के नाम से बैंक तथा कार्यालय में (बैंक अवकाश को छोडकर) जमा करवानी होगी यदि सफल बोलीदाता द्वारा किसी भी कारण से 72 घंटो में सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो अग्रिम व् अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी और उसकी बोली रद्द मानी जाऐगी एंव भविष्य में होनी वाली बोलियों में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाऐगा। साथ ही दूसरे नं0 के उच्चतम बोलीदाता को प्रथम बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली राशि पर ही यदि वह लेने को सहमत हो तो उससे सहमति पत्र के आधार पर ठेका दिया जाऐगा। द्वितीय नं0 के बोलीदाता को बोली की समस्त राशि रैड कास कार्यालय द्वारा पत्र जारी उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर (बैंक अवकाश को छोडकर) नकद/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवानी होगी अन्यथा उसकी भी जमा राशि जब्त कर ली जाऐगी।

4 बोली में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को बोली की सिक्योरिटी राशि 1,00,000/–रू0 दिनांक 22–07–2024 तक सायः 05:00 बजे तक रैड कास कार्यालय में इंडियन रैड कास सोसायटी, जिला शाखा, नारनौल के नाम से डी.डी. के रूप में जमा करवाई जानी अनिवार्य है। जिस भी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा दिनांक 22–07–2024 सायः 05:00 बजे तक यदि सिक्योरिटी राशि जमा नही करवाई जाती

Scanned with CamScanner

है तो वह बोली में भाग लेने के लिए योग्य नही होगा। सफल बोली धारक जिनके द्वारा सर्वाधिक बोली लगाई जाऐगी को छोडकर अन्य बचे बोलीदाताओं को 72 घण्टे के अन्दर उनके द्वारा जमा करवाऐं गये डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।

5 बोली की राशि जिस पर सफल बोली छोडी जाऐगी पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि का भुगतान अतिक्ति देय होगा।

6 चार टायर तक वाली गाडी के 250/–रू0 प्रतिदिन तथा अधिक टायर होने पर 50/–रू0 प्रति टायर प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाऐगा।

7 पकडी गई गाडियों को टोचन करने के लिए रिकवरी वैन का इन्तजाम ठेकेदार को स्वंय अपने स्तर पर करना होगा ।

8 गाडी ठेकेदार द्वारा टोचन करके लाई जाने पर निम्न चार्जिज होगे:–

i)	छोटा वाहन (चार टायर तक)	500/–रू0
ii))	मिडियम वाहन (6 टायर से 10 टायर तक)	750/–रू0
iii)	बडा वाहन (10 टायर से अधिक के वाहन)	1000/–रू0

9 पार्किंग में जो गाडी खडी होगी चाहे वो वाहन किसी भी सरकारी एजेन्सी द्वारा पकडकर खडा करवायां गया हो उस वाहन की पार्किंग में खडा करने का किराया वाहन के मालिक द्वारा पार्किंग के ठेकेदार को जमा करवाया जायेगा और पार्किंग ठेकेदार द्वारा उस पार्किंग किराये की रसीद वाहन के मालिक को दी जायेगी।

10 पार्किंग का ठेका अलग–अलग जगह का दिया जायेगा जो नांगल चौधरी, कनीना, महेन्द्रगढ़, निजामपुर, सिहमा, सतनाली, नारनौल, अटेली सहित जिला महेन्द्रगढ़ के अन्य स्थानों का भी होगा जंहा जिला प्रशासन (एस.डी.एम., आर.टी.ओ., पुलिस विभाग को आवश्यकता नजर आती हैं)। ठेकेदार को अपनी पार्किंग वहीं चलानी होगी जंहा के लिए उसको ठेका दिया गया है। उदाहरण के लिए महेन्द्रगढ़ यदि पार्किंग दी गई है तो वह महेन्द्रगढ़ शहर के दो से पॉच किलोमीटर की परिधी या बिना ऐतराज वाली उस ब्लाक की जगह मे ही होगा इससे अधिक नही और इसी प्रकार यह नियम अन्य जगहों पर भी लागू होगा। यदि उल्लंघना की जाती है तो ठेका रद्द कर दिया जाऐगा।

11 जिले भर में जंहा भी ठेकेदार द्वारा पार्किंग आदि शुरू किया जायेगा उस जगह की मलकियत किराया नामा के कागजात आदि ठेकेदार द्वारा सचिव, रैड कास नारनौल के पास जमा करवाने होगें किसी विवादित जगह में यह पार्किंग/बाडा आदि नहीं खोला जायेगा। जमीन का किरायां, बिजली आदि का खर्च स्वंय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। कागजात जमा होने उपरान्त ही सचिव, रैड कास द्वारा पत्र जारी किया जाऐगा।

12 पार्किंग/बाडे की किसी भी रूप में शिकायत प्राप्त होती हैं अथवा प्रशासन को लगता हैं कि यह जगह विवादित हैं अथवा गांव के और शहर के प्रबुद्ध लोगों को उस पर कोई एतराज हैं तो उपायुक्त एंव प्रधान, रैड कास सोसायटी को पूरा अधिकार होगा कि वो पार्किंग/बाडे का अलाटमेन्ट तुरन्त रद्द कर दे। उपायुक्त एंव प्रधान महोदया/महोदय का आदेश अंतिम आदेश होगा जो सभी को मान्य होगा। इसके लिए पार्किंग/बाडे के ठेकेदार को सचिव, रैड कास को शपथ पत्र देना होगा कि वो नियम व शर्तो की पालना करते हैं। किसी भी सूरत में ठेकेदार की वजह से ठेका रद्द किया जाता है तो सभी प्रकार की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

13 पार्किंग/बाडे से क्या लाभ/हानि होती हैं यह जिम्मेदारी पूर्णरूप से ठेकेदार की होगी। रैड कास किसी भी हानि की भरपाई नहीं करेगा। यदि ठेकेदार बीच मे पार्किंग बन्द करता है तो किसी भी प्रकार की राशि वापिस नहीं दी जाएेगी। किसी भी सूरत में ठेकेदार की वजह से ठेका रद्द किया जाता है तो सभी प्रकार की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।

14 यदि जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन को किसी भी प्रकार की शिकायत पार्किंग/बाडे के बारे में अथवा ठेकेदार के बारे में प्राप्त होती हैं तो उसे गम्भीरता से लिया जायेगा और पार्किंग/बाडे का ठेका तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में ठेकेदार की वजह से ठेका रद्द किया जाता है तो सभी प्रकार की सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।

15 यदि किसी कारणवश जिला प्रशासन एंव रैड कास पार्किंग/बाडे का ठेका समयावधि से पहले रद्द करता हैं तो भी सभी प्रकार की जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी, जो किसी भी सूरत में वापस देय नहीं होगी।

16 जो भी राशि वाहन की निर्धारित की गई हैं उसके अतिरिक्त यदि पार्किंग ठेकेदार राशि लेता हैं तो उसे नियमों की उलंघना माना जायेगा और इस मामले में अंतिम निर्णय उपायुक्त एवं प्रधान महोदया/महोदय रैड कास सोसायटी नारनौल का होगा।

17 पार्किंग स्थल पर बोर्ड/रेट लिस्ट, ठेकेदार का नाम, मोबाईल नं, पार्किंग किस के नाम से चलाई जा रही हैं पूरा विवरण लिखना होगा। रसीद जो काटी जायेगी उसकी एक रसीद वाहन चालक को भी दिया जाना जरूरी हैं और रैड कास के अधिकारी/आर.टी.ओ. अधिकारी एंव उच्च अधिकारी कभी भी रिकार्ड चैक कर सकते हैं। हर माह इस बारे में रिपोर्ट रैड कास को लिखित में देना जरूरी हैं।

18 यदि पार्किंग लेने वाले ठेकेदार को किसी न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई हैं तो वह वह इस बोली में भाग नही ले सकते। इस बारे मे बोली से पूर्व शपथ पत्र सचिव, रैड–कास को लिखकर देना होगा बाड़ा एक ब्लॉक में केवल एक ही होगा और ब्लाक क्षेत्र में ही होना आवश्यक है।

19 यदि पार्किंग लेने वाले ठेकेदार के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में क्रिमिनल केस दायर/लम्बित है एंव पार्किंग/बाडे की समयावधि के दौरान उसे न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उसका ठेका रद्ध कर दिया जाऐगा। सजा सुनाई जाने बारे ठेकेदार द्वारा सचिव, रैड कास को अवगत करवाया जाना अनिवार्य है एंव इस बारे में बोली से पूर्व शपथ पत्र सचिव, रैड–कास को लिखकर देना होगा।

20 पार्किंग में वाहन यदि एक महीने से अधिक दिन खडा रहता है तो अधिकतम किराये के रूप में 21 हजार रू0 से अधिक की राशि नही ली जाऐगी और वाहन मालिक को रसीद काटकर देनी होगी।

21 पार्किंग ठेकेदार को रैड कास द्वारा प्रदान की गई रसीद ही वाहन मालिक/ड्राईवर को काटकर देनी होगी। रसीद भर जाने पर काउन्टर फाईल रैड कास में जमा करवानी होगी और नई रसीद रैड कास द्वारा प्रदान की जाऐगी।

22 सभी 8 ब्लाको महेन्द्रगढ़, कनीना, नांगल चौधरी, सिहमा, निजामपुर, सतनाली, नारनौल, अटेली का ठेका छोडा जाऐगा।

23 ठेकेदार द्वारा जो बाडे मे कर्मचारी लगाए जाऐंगे उनकी पुलिस वैरीफिकेशन ठेकेदार व सचिव, रैड कास द्वारा करवाई जानी अनिवार्य है। वैरीफिकेशन उपरान्त वैरीफिकेशन सर्टीफिकेट की एक प्रति कार्यालय को देनी होगी। यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी की कोई भी अपराधिक मामले मे संलिप्तता पाई जाती है तो बाडे में कार्य नही कर सकता। इसके अतिरिक्त बाडे मे अधिकृत कर्मचारियो के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति उपस्थित रहता है तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाऐगी।

Scanned with CamScanner

24 बाडे पर सी.सी.टी.वी. कैमरा व 45 दिनो की रिकार्डिंग रखी जानी जरूरी होगा। यदि सी.सी.टी.वी. कैमरे नही है तो ठेके के 15 दिनो के अन्दर–अन्दर उपरोक्त कार्य करवाकर सचिव, रैड–कास के कार्यालय को सूचित करना होगा।

25 जिस गाडी वाले ड्राईवर ने गाडी पार्किंग का जितना पैसा पार्किंग ठेकेदार को दिया है उतने पैसे की रसीद देना अनिवार्य है। यदि किसी को ठेकेदार ने रसीद नहीं दी और किसी गाडी स्वामी, ड्राईवर की शिकायत प्राप्त हुई तो उसका ठेका रद्द किया जा सकेगा और सम्पूर्ण जमा की गई राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

26 उपरोक्त बाड़ो बारे किसी भी मामले मे उपायुक्त एंव प्रधान महोदया/महोदय द्वारा लिया गया निर्णय सभी के लिए बाध्य होगा।

27 प्रत्येक बाडे के लिए बोली का रिर्जव मूल्य शर्त सं0 1 अनुसार होगा तथा बाडा आवंटन उपरान्त बाडा/पार्किंग में किसी भी विभाग द्वारा जब्त करके खडी की गई गाडी की सुरक्षा एंव देखरेख की जिम्मेदारी पूर्णतया ठेकेदार की होगी। यदि बाडे में खडे किसी भी वाहन को कोई नुकशान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

28 सफल बोलीदाता को सचिव, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी नारनौल के साथ बोली उपरान्त बाड़े के संचालन हेतु शर्तो व् नियमो की पालना सम्बंधित अनुबंध पत्र पंजीकृत करवाना होगा

29 उपरोक्त बाड़ों की बोली एंव इससे सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव आदि का पूर्ण अधिकार उपायुक्त एंव प्रधान महोदया/महोदय को होगा। साथ ही बाडों के विषय में उनके द्वारा लिए गऐ निर्णय सर्व मान्य होगे।

30 किसी कारणवंश भी ठेका रद्ध होता है तो ठेकेदार द्वारा सभी वाहन सम्बन्धित विभाग को एक सप्ताह के अन्दर सौंपने होगे एंव ठेका रद्ध होने उपरान्त किराया वसूल करने का कोई अधिकार ठेकेदार को नही होगा।

31 आनॅलाईन बोली दिनांक 24–07–2024 को प्रातः 11:00 बजे शुरू होगी व सायः 04:00 बजे तक चलेगी। अगर आखिरी 5 मिनट में बोली लग जाती है तो बोली का समय 10 मिनट आगे बढ़ जायेगा

32 बोली https://eauction.gov.in पोर्टल पर दिनांक 17–07–2024 को पब्लिश की जाऐगी।

33 बोली के समस्त नियम व शर्तो की पालना करने वाले कोई भी आमजन व्यक्तिगत या फर्म के तौर पर बोली में हिस्सा ले सकते है।

34 दस लाख से निचे की बोली तक प्रति बोली न्यूनतम 5,000/–रूपऐ बढाकर बोली लगानी होगी व दस लाख से उपर की बोली में न्यूनतम 10,000/–रूपऐ बढ़ाकर बोली लगानी होगी।

35 बोली में भाग लेने वाले प्रतिभागी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डी.डी., पार्किंग/बाडे के संचालन में प्रयोग की जाने वाली जमीन का मालिकाना हक प्रमाण अथवा पंजीकृत किरायानामा https://eauction.gov.in पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा डी.डी. मूलः रूप में कार्यालय में जमा करवाना होगा। सफल बोलीदाता को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड व पार्किंग/बाडे के संचालन में प्रयोग की जाने वाली जमीन का मालिकाना हक प्रमाण अथवा पंजीकृत किरायानामा रैड कास कार्यालय में जमा करवाना होगा।

36 बोली में न्यूनतम दो बोलीदाताओं का होना अनिवार्य है अन्यथा बोली रद्ध मानी जायेगी।

Scanned with CamScanner

37 इस ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता द्वारा 1180/–रूपऐ की फीस राशि Society For IT Initiative Fund For E-Governance, Chandigarh के नाम डी.डी. के माध्यम से रैड कास कार्यालय में दिनांक 22–07–2024 तक सायः 05:00 बजे तक जमा करवानी होगी। यह राशि Non Refundable होगी।

38 बोलीदाता द्वारा पार्किंग के लिए चिन्हित/निश्चित किए गए स्थान जब्त किए गऐ वाहनों की पहुँच के योग्य होने चाहिए यदि किसी भी कारण से खनन विभाग, आर.टी.ए. कार्यालय अथवा अन्य किसी सम्बन्धित कार्यालय को लगता है कि चिन्हित किया गया स्थान जब्त किए गऐ वाहनों की पार्किंग की पहुँच के लिए योग्य नही है तो उपायुक्त एंव प्रधान महोदया को बोली रद्ध करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। चिन्हित किए गए पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन खनन विभाग एंव आर.टी.ए. कार्यालय द्वारा दिनांक 24–07–2024 को बोली छुटती हैं उसी दिन किया जाऐगा एवं सचिव, रैड कास को सम्बन्धित विभाग द्वारा चिन्हित किए गए पार्किंग स्थल की उपयुक्तता बारे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। किसी भी कारणवंश यदि प्रशासन /सम्बन्धित विभाग द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थल को उपयुक्त नही पाया जाता है तो सफल बोलीदाता को दूसरा अन्य उपयुक्त पार्किंग स्थल चयन करने एंव इसकी अनापत्ति प्राप्त करने हेतु 3 दिनों का समय दिया जायेगा। फिर भी यदि प्रथम सफल बोलीदाता उपयुक्त पार्किंग स्थल की व्यवस्था नही करता है तो उसकी बोली रद्ध मानी जाऐगी एंव द्वितीय उच्च बोलीदाता को अवसर प्रदान किया जायेगा।

Balwan Singh 17/07/2024
सचिव
रैड कास नारनौल
बोली कमेटी सदस्य

लेखा अधिकारी
उपायुक्त कार्यालय नारनौल
बोली कमेटी सदस्य

for एम.ओ./ए.एम.ई.
खनन विभाग, नारनौल
बोली कमेटी सदस्य

नगराधीश, नारनौल
बोली कमेटी अध्यक्ष

Scanned with CamScanner